प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3)(4) और (6)
कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांकः आर.18बी (29) 08/व्या./ 7622 दिनांकः– 1/9/09

संपरिवर्तन आदेश

बाबा गंगादास विद्यापीठ समिति ग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जरिये अध्यक्ष रामसहाय जाट पुत्र प्रभातीलाल कौम जाट निवासी इन्द्रप्रस्थ कालोनी वार्ड नं0 16 नगरपालिका शाहपुरा एवं सचिव, सरदारमल यादव पुत्र मदन लाल कौम अहीर निवासी चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1 आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	बाबा गंगादास विद्यापीठ समिति ग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जरिये अध्यक्ष रामसहाय जाट पुत्र प्रभातीलाल कौम जाट निवासी इन्द्रप्रस्थ कालोनी वार्ड नं0 16 नगरपालिका शाहपुरा एवं सचिव, सरदारमल यादव पुत्र मदन लाल कौम अहीर निवासी चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2.क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3.संपरिवर्तित भूमि का ब्यौराः–	
(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम चिमनपुरा ग्राम पंचायत नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.नं 1008 रकबा 0.05 हैक्ट0, ख.नं 1009 रकबा 0.30 हैक्ट0, ख.नं 1010 रकबा 0.58 हैक्ट0, ख.नं 1004/1 रकबा 0.15 हैक्ट0, कुल किता 4 कुल रकबा1.08 हैक्ट0
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल(हेक्टै. या व.मी.में)	ख.नं 1008 रकबा 0.05 हैक्ट0, ख.नं 1009 रकबा 0.30 हैक्ट0, ख.नं 1010 रकबा 0.58 हैक्ट0 में से 0.48हैक्ट0, ख.नं 1004/1 रकबा 0.15 हैक्ट0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.98 हैक्ट0 (9800 वर्ग मीटर)
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	;वाणिज्यक प्रयोजनार्थ
5 संदेय प्रीमियम की दर	7.91/–रूपये प्रति वर्ग मीटर
6 चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	चालान नं. 11 दि0 2.05.08 से राशि 77,518/–रूपये
7 चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नहीं
8 चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नहीं

PA

1099
8-9-09

9 क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के आधीन जारी किया गया है।	नही
10 अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	राजकीय स्वीकृति कमांक प.2(140) राज/भूरू/08 दिनांक 22.5.09 ।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा:–

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) भवन का निर्माण निकटतम नगरपालिका/स्थानीय निकाय के मापदण्डो के अनुसार किया जावेगा ।

(6) नेशनल हाईवे से जाने के लिए रास्ता चाहे जाने पर नेशनल हाईवे अथोरिटि ऑफ इण्डियां से और राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडक से रास्ता चाहे जाने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी ।

(7) संपरिवर्तित कुल भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र पार्किंग, सडक, इत्यादि सुविधाओं के लिए खुला छोडना होगा तथा पानी, बिजली आदि आधारभूत सुविधाएं स्वंय के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी ।

(8) राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प0 6 (6) राज–6/92–पार्ट/23 दिनांक 17.7.07 की पालना में संपरिवर्तित की गई भूमि का ले आउट प्लान अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित करवाकर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय में नक्शा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा ।

(9) संपरिवर्तन भूमि का बेचान, मौके पर निर्माण कार्य, इस कार्यालय से नक्शा अनुमोदित कराये बिना नहीं किया जावेगा

(10) स्वच्छ वातावरण का पूर्ण ध्यान रखना होगा ।

जिला कलक्टर,
जयपुर।

कमांक: आर.18बी (29) 08/व्या./7623-28 दिनांक:– 1/9/09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा।
3. तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत नाथावाला पं.स. शाहपुरा ।
5. बाबा गंगादास विद्यापीठ समिति ग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जरिये अध्यक्ष रामसहाय जाट पुत्र प्रभातीलाल कौम जाट निवासी इन्द्रप्रस्थ कालोनी वार्ड नं0 16 नगरपालिका शाहपुरा एवं सचिव, सरदारमल यादव पुत्र मदन लाल कौम अहीर निवासी चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ।
6. आदेश/गार्ड पत्रावली ।

1.9.2009

अति0 कलक्टर(राजस्व)
जयपुर।

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक आर.18बी (4)08 / शैक्षणिक / 10885 दिनांक:- 13/12/10

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक क्रमांक 7622 दिनांक 1.9.2009 के द्वारा बाबा गंगादास विद्यापीठ समिति ग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जरिये अध्यक्ष रामसहाय जाट पुत्र प्रभातीलाल कौम जाट निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलानी वार्ड न. 16 नगर पालिका शाहपुरा एंव सचिव सरदार मल यादव पुत्र मदनलाल कौम अहीर निवासी चिमनपुरा तहसील शाहपुरा के हक मे ग्राम चिमनपुरा ग्राम पंचायत नाथावाला तहसील शाहपुरा के ख.न. 1008 रकबा 0.05 ख.न.1009 रकबा 0.30, ख. न. 1010 रकबा 0.58 मे से 0.48 ख. न. 1004/1 रकबा 0.15 है कुल किता 4 कुल रकबा 0.98 है. भूमि वाणिज्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के आदेश जारी किये गये थे।

उक्त प्रकरण मे समिति के द्वारा आवेदन पत्र शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया था एंव इसी के अनुरूप राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः इस कार्यालय के उक्त आदेश मे रूपान्तिरित भूमि का प्रयोजन आदेश की क्रम सं. 4 मे वाणिज्य प्रयोजनार्थ के स्थान पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ पढा जावे शेष आदेश यथावत रहेंगें।

कलक्टर
जयपुर

क्रमांक आर.18बी (4)08 / शैक्षणिक / 10886-91 दिनांक:- 13/12/10

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा कलेक्ट्रेट, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा।
3. तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत नाथावाला प.स. शाहपुरा।
5. बाबा गंगादास विद्यापीठ समिति ग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जरिये अध्यक्ष रामसहाय जाट पुत्र प्रभातीलाल कौम जाट निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी वार्ड न. 16 नगर पालिका शाहपुरा एंव सचिव सरदार मल यादव पुत्र मदनलाल कौम अहीर निवासी चिमनपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. आदेश / गार्ड पत्रावली।

कलक्टर (राजस्व),
जयपुर